Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन		मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना
डालचन्द	बनाम	मदेराव खाँ
किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0	नं0 35	सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.2023	प्रार्थीगण ने आज दिनांक को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर वहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर वहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन मे स्थित हाल आराजी संख्या 1712/299, 269, 270, 283, 297, 298, 299, 304, 305, 331, 274, 277, 278, 281, 282, 285, 296, 271, 272, 273, 279, 280, 300, 303 कुल किता 24 कुल रकबा 4.43 हैक्ट0 कृषि भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन मे स्थित हाल आराजी संख्या 1712/299, 269, 270, 283, 297, 298, 299, 304, 305, 331, 274, 277, 278, 281, 282, 285, 296, 271, 272, 273, 279, 280, 300, 303 कुल किता 24 कुल रकबा 4.43 हैक्ट0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बंदोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।	

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:35:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official